धारा 14 : माल या सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर की दर में परिवर्तन

धारा 12 या 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां पूर्ति के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर दी गई है, उस दशा में,—

- **(i)** जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी उसके पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा;
- **(ii)** जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किन्तु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा; या
- **(iii)** जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किन्तु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा;

(ख) कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति किए जाने की दशा में,—

- **(i)** जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किन्तु बीजक कर की दर में परिवर्तन से पूर्व जारी कर दिया गया है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा;
- **(ii)** जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या
- **(iii)** जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किन्तु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगाः

परन्तु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में संदाय को जमा करने की तारीख होगी, यदि बैंक खाते में ऐसा जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''संदाय प्राप्ति की तारीख'' वह तारीख होगी, जिसको पूर्तिकार की लेखा—बहियों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।